

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2019—आषाढ़ 8, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ ए-3-05-2019-1-पांच-(50).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच (28), दिनांक 7 मार्च, 2019] प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2019

क्र. एफ ए-3-05-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-05-2019-1-पांच (50), दिनांक 29 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2019

No. F A-3-05-2019-1-V-(50).—In exercise of the power conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby appoints the 21st day of June, 2019, as the date from which the provisions of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Amendment Rules, 2018 rule 12 of [this department notification No. F A-3-05-2019-1-V(28), dated the 7th March, 2019], shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.